फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुरेशचन्द्र — **विपक्षी : श्री हेमा**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 40/24**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तह. घासा की आराजी नम्बर 1585/427 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/5 हिस्सेनुसार दर्ज हैं, जिसे खातेदार नकारीबाई पुत्री लोगर पत्नी राधुलाल भील निवासी विजनवास द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2023 को बिल एवज 2,00,000/– रूपये में अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा भूमि वादी को विक्रय कर दी परन्तु उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ हैं। तत्पश्चात् नकारी बाई पुत्री लोगर पत्नी राधुलाल द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 14.09.2023 से प्रतिवादी सं. 1 हेमा के पक्ष में दान कर दी। प्रतिवादी सं. 1 हेमा द्वारा उक्त दान पत्र का नामान्तरकरण संख्या 899 दिनांक 06.11.2023 को अपने पक्ष में पारित करवा लिया। वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली में दिनांक 15.05.2024 को तलब करवाई जाकर अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी तथा अधिवक्ता प्रतिवादी मय प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में मुझ प्रतिवादी सं. 1 हेमा एवं वादी सुरेशचन्द्र के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है, राजीनामें के तहत् ग्राम विकरणी पटवार हल्का हल्का विजनवास तह. घासा में आराजी नम्बर 1585/427 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि स्थित है, उक्त भूमि में मुझ प्रार्थी की बहन श्रीमती नकारीबाई पत्नी लोगर जी डांगी के नाम पर 1/5 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त 1/5 वा हिस्सा नकारीबाई ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.07.23 को वादी सुरेशचन्द्र को विक्रय कर दिया था, परन्तु विक्रय पत्र का नामान्तकरण वादी के पक्ष में नहीं होने से उक्त भूमि नकारीबाई के नाम पर ही दर्ज रह गई। भूलवश नकारीबाई ने अपने नाम दर्ज भूमि को दिनांक 14.09.2023 को मुझ वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र निष्पादित करवाया जिससे वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 899 दिनांक 14.09.2023 से मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज हो गई। नकारीबाई के द्वारा दिनांक 14.09.2023 को निष्पादित दान पत्र पश्चातवृति दस्तावेज है तथा वादी सुरेशचन्द्र के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2023 पूर्ववृति दस्तावेज है जिस कारण वादी सुरेशचन्द्र वादग्रस्त आराजीयात में नकारीबाई का 1/5 वां हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है, अगर उक्त आराजीयात में नकारीबाई के नाम पर से निष्पादित दान पत्र के जरिये जो हिस्सा मेरे नाम पर दर्ज हुआ है उक्त हिस्से बाबत् वादी के पक्ष में घोषणा कर दी जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा. दी. का स्वीकार कर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तह. घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 399 पर दर्ज आराजी नम्बर 1585/427 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/5 हिस्से से दर्ज है। श्रीमती नकारी पिता लोगर पत्नी राधुलाल भील द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 14.09.2023 से प्रतिवादी सं. 1 हेमा के पक्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित किया गया था। जिसके कारण उक्त वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 899 दिनांक 06.11.23 से प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई जबकि इससे पूर्व श्रीमती नकारीबाई पुत्री लोगर द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2023 से वादी श्री सुरेशचन्द्र को विक्रय किया जा चुका था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रथम रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर राजस्व अधिकारी को नामान्तकरकरण पारित करना था परन्तु उनके द्वारा द्वितीय दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया जो नियमों के विरूद्ध हैं। उक्त तथ्यों को राजीनामे में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वयं भी स्वीकार किया गया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा अपनी बहस में राजीनामें अनुसार वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः उभय पक्षकारान सहमत होने से वादी का वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः वाद वादी आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 339 पर दर्ज आराजी नम्बर 1585/427 किता 1 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 हेमा के नाम दर्ज 1/5 हिस्से के बजाय वादी सुरेशचन्द्र पिता कुका भील निवासी विकरणी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:04 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत : सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री सुरेशचन्द्र पिता कुका भील निवासी विकरणी तह. घासा।

.....वादी

बनाम

1. श्री हेमा पिता लोगर गमेती भील निवासी विकरणी तह. घासा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तह. घासा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी.

मुकदमा न0 : 40/24 (वाद) GCMS No. – 2024/91

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 339 पर दर्ज आराजी नम्बर 1585/427 किता 1 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 हेमा के नाम दर्ज 1/5 हिस्से के बजाय वादी सुरेशचन्द्र पिता कुका भील निवासी विकरणी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2024 को जारी की गई।

(मनसुख राम डामोर R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:04 IST
Reason: SelfAttested